उत्तर प्रदेश शासन
खेलकूद अनुभाग
संख्या-२२५१ / बयालिस-२००८-१७७(विविध)/०७
लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, २००८

कार्यालय -ज्ञाप

विषय : - पर्वतारोहण अभियानों में भाग लेने वाले राजकीय सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं०-एस०पी०-१२३२/ बयालिस-४४-(एस०पी०)-८०, दिनांक १५ अप्रैल, १९८०, जिसमें ट्रैकिंग अभियानों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था है, की भांति उन राजकीय सेवकों को भी विशेष आकस्मिक अवकाश निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो भारतीय युवक हास्टल संघ द्वारा आयोजित ट्रेकिंग अभियानों में भाग लेते है :-

(अ) अभियान भारतीय पर्वतारोहण संघ द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, अथवा यह भारतीय युवक हास्टल्स संघ द्वारा आयोजित किया गया हो, तथा,

(ब) किसी एक राजकीय सेवक को दिये जाने वाले विशेष आकस्मिक अवकाश की कुल सीमा किसी एक कलेण्डर वर्ष में ३० दिनों से अनधिक होनी चाहिए।

२- ३० दिवस से अधिक की अनुपस्थित अवधि को नियमित अनुमन्य छुट्टी (**Regular Leave of the kind admissible**) के रूप में मानी जायेगी। इस प्रयोजन के लिये विशेष परिस्थितियों में राजकीय सेवको को विशेष आकस्मिक अवकाश (**Special Casual Leave**) के साथ नियमित छुट्टी (**Regular Leave**) के मिलाये जाने की अनुमति भी दी जा सकेगी, परन्तु विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो, भाग २ से ४ के सहायक नियम (SR) २०१ में निर्धारित सामान्य सिद्धान्तो के अधीन ही दी जायेगी।

३- इन आदेशों के जारी होने के पूर्व शासन के अधीन किसी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा पर्वतारोहण अभियान में यदि भाग लिया गया है, और वह प्रस्तर-१ में दी गयी शर्तो की पूर्ति करता हो तो उसे भी उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकेगा।

पंकज अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या-२२५१/बयालिस-२००८, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१- महालेखाकार-१, उ०प्र०, इलाहाबाद।
२- शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव।
३- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
४- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
५- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(सूर्य नरायण शुक्ल)
उप सचिव।

पृष्ठनांक संख्या-२२५१ (१)/बयालिस-२००८, तद्दिनांक

प्रतिलिपि उप सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(सूर्य नरायण शुक्ल)
उप सचिव।